(1)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल जिला—जालोर

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

चम्पालाल पुत्र शिवराजजी जाति ओसवाल (जैन) निवासी जुंजाणी हाल भीनमाल तहसील भीनमाल जिला— जालोर

नेणचंद उर्फ नेणमल पुत्र शिवराजजी वगैरा।

किस्म प्रकरण प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा 48/2013

प्रकरण संख्या 48/13

तारीख हुक्म	कार्यवाही/आदेश का सूक्ष्म विवरण	आदेश की पालना में जारी पत्र/दिनांक
17.09.13	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राव द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब हो। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा मामले में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 6 तक का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार होने से इस परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा खरीदी जाने वाली संपति को संयुक्त हिन्दू परिवार के कॉमन स्टॉक में रखा जाता है। एवं इसी प्रकार बेची जाने वाली समस्त संपतियों के विक्रय मूल्य को भी इसी कॉमन स्टॉक मे रखा जाता है इस आधार पर दिनांक 11.04.1989 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से सरहद मौजा भागल भीम के पुराने खसरा नम्बर 667 रकबा 18 बिघा 19 बिस्वा आराजी को खरीद कर संयुक्त हिन्दु परिवार के कॉमन स्टॉक में डाला। इस पुराने खसरा नम्बर 667 के नये वर्तमान खसरा नम्बर 1066 रकबा 3.20 हैक्टयर है इसी प्रकार दिनांक 07.08.1971 को सरहद मौजा जुंजाणी के पुराने खसरा नम्बर 207 रकबा 4 बिघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर पुराने 867 रकबा 2 बिघा 1 बिस्वा आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खरीद कर इस परिवार के कॉमन स्टाक में डाला। इन खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 325 रकबा 2.76 हैक्टयर व खसरा नम्बर 326 रकबा 0.07 हैक्टयर दर्ज किया गया इसी प्रकार सरहद मौजा जुंजाणी के वर्तमान खसरा नम्बर 327 रकबा 3.43 हैक्टयर व 334 रकबा 1.46 हैक्टयर की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 के सयुंक्त नाम से दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान की आराजीयान में	नोटिस जारी क्रमांक 208 17.9.13 सहायक कलक्टर भीनमाल

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
11.7.18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दीगर अप्रार्थीगण को भेजे गये नोटिस की रसीद पत्रावली के सलंग्न है। बावजूद नोटिस के भी दीगर पक्षकारान के वास्ते कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतएव उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। मिशल ~~बाबत~~ वकील प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों की सुनी गई। मिशल वास्ते निर्णय तारीख 23-7-18 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर भीनमाल	
23-7-18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल मिशल किया गया। मिशल शुमार फैसलशुदा होकर से कम हो व मूलवाद के साथ नत्थी हो। [signature] सहायक कलेक्टर, भीनमाल	

Scanned by CamScanner